न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर, कैम्प मालसर
पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

03/2009 (99/1998)
एमएस : 2009/00104

चुन्नीदेवी पत्नी गणपतराम पुत्री कुम्भाराम जाति नायक साकिन बाजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
मीरा पत्नी श्री रामूराम पुत्री कुम्भाराम जाति नायक साकिन 12 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
मिठूदेवी उर्फ परमेश्वरी पत्नी रूघाराम पुत्री कुम्भाराम जाति नायक वार्ड नं. 08 तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —:वादीगण

बनाम

1. सोना पत्नी नानूराम जाति नायक साकिन पीरावाली 5 एफएफ बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. लिछमा पत्नी मंगलाराम जाति नायक साकिन पीरावाली 5 एफएफबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
   2/1 कलावती
   2/2 सलेमड़ी
   2/3 सुन्दरी
   2/4 रामप्रताप
3. सुगनी पुत्री श्री रूपाराम जाति नायक साकिन कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. मंगली पत्नी श्री हरजीराम जाति नायक साकिन 13 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
5. नन्दराम पुत्र श्री हरजीराम जाति नायक साकिन 13 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
6. तुलसीराम पुत्र श्री हरजीराम जाति नायक साकिन 13 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
7. श्योकरण पुत्र श्री हरजीराम जाति नायक साकिन 13 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
8. पुरखाराम पुत्र श्री हरजीराम जाति नायक साकिन 13 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
9. नेतराम पुत्र श्री हरजीराम जाति नायक साकिन 13 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
10. कृष्णलाल पुत्र श्री हरजीराम जाति नायक साकिन 13 आरबी तहसील रायसिंहनगर।
11. करनाराम पुत्र श्री रूपाराम जाति नायक साकिन कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।
13. उप–पंजीयक गजसिंहपुर तहसील पदमपुर।

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राज. का. अधि. 1955</u>

तारीख रजू 30.07.2009

उपस्थित अधिवक्तागण
1. **श्री प्रीतमसिंह गिल वादीगण अधि.**
2. **श्री सोहनलाल जोशी प्रति. सं. 1–11. अधि.**

दिनांक :–13.08.2024

—: <u>निर्णय</u> :—

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण के पिता श्री कुम्भाराम पुत्र श्री भैराराम जाति नायक साकिन 13 आरबी के नाम चक 13 आरबी में पं.नं. 198/242 मु. नं. 6 कि0नं0 1 ता 3/1, 8 ता 13/1, 18/2 ता 23/1 मे 3.162 है. नहरी व चक 64 आरबी में पं.नं. 192/255 मु.नं. 2 में कि.नं. 1–9 ता 13, 17 ता 25 कुल 2.516 है. बारानी रकबा पुख्ता आवंटन में मिला था, कुम्भाराम दिनांक 02.07.1994 को फौत हो चुके है। कुम्भाराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त रकबा को [illegible] कर रहे है तथा अब भी कर रहे है राजस्व रिकार्ड में रकबा कुम्भाराम के ना[illegible] होने के कारण पानी की बारी राजस्व काटने आदि [illegible] है तथा आये रोज परिवारिक विवाद भी रहते है इसलिए वादीगण एवं [illegible]वादीगण ने बाहम तौर पर बंटवारा किया हुआ है वा[illegible] 13 आरबी का मु. नं. 6 पं.नं. 198/242 में कि.नं. 1–2–3–8–9–10 व 1[illegible] 0.091 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:41 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

कुल 1.356 है. नहरी व चक 64 आरबी का मु.नं. 2 में कि.नं. 21 ता 25 व 20 में 0.078 है. कुल 1.077 है. बारानी भूमि। और प्रतिवादी सं. 1 सोनाराम के हिस्सा में आयी भूमि चक 13 आरबी का मु.नं. 6 पं.नं. 198/342 में कि.नं. 11 में 0.162 है0 12 में 0.253 है. 13 में 0.037 है. 0.452 है. नहरी व चक 64 आरबी का मु.नं. 2 के कि.नं. 20 में 0.175 है. व 19 में 0.184 है. 0.359 है. भूमि। प्रतिवादी सं. 2 के हिस्सा में चक 13 आरबी का मु.न. 6 पं.नं. 198/342 में कि.नं. 11 व 13 में 0.89 है. 18 में 0.127 है. 19 में 0.231 है. 0.452 है. व चक 64 आरबी का मु.नं. 2 के कि.नं. 19/.069, 18/0.215, 17/0.025, 13/0.025, 13/.025, 12/0.025 है. 0.359 है.। प्रतिवादी सं. 3 सजनी व प्रतिवादी सं. 11 कानाराम के हिस्सा में चक 13 आरबी का मु.नं. 6 पं.नं. 198/242 में कि.नं. 19/0.27, 20/.172, 21/.172 है. 0.452 है. नहरी व चक 64आरबी का मु.नं. 2 के कि.नं. 12/0.190, 11/.169है. 0.359 है. बारानी भूमि। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 कुम्भाराम मृतक के जायज वारिस है इसलिए बहिस्सा बराबर खातेदार टिनेन्ट है इस अमर की घोषणा प्राप्त करने के वादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिकारी है यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने घरू बंटवारा जो मदसं. 4 के मुताबिक किया हुआ है इसलिए उपरोक्त मद के मुताबिक ही डिक्री तकसीम सादिर फरमाई जावे। अतः दावा वादीगण पुस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मु.नं. 2 के 2. 516 है. व चक 64 आरबी के मु.नं. 6 के 3.162 है. व चक 13आरबी के वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदार टिनेन्ट है तथा घोषणा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज कराया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 4 ता 10 की तरफ से श्री सोहनलाल जोशी व प्रति. सं0 2 वारिस 2/1 से 2/4 की तरफ से श्री विनोद कुमार सिंवर हाजिर आये। प्रति. सं. 3 व 11 की तरफ से श्री बलदेवसिंह निवादा पेश हुये। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 की तरफ से जवाब दावा में अंकित है कि जमीन कुम्भाराम के नाम है संयुक्त काश्त से करना से कतई इन्कारी है वादीगण का ना भूमि में भाग है व भूमि पर कब्जा है, ना पानी की बारी साझी है। इसलिए किस्त बाबत कोई विवाद नहीं है। वाद–ग्रस्त सम्पति प्रतिवादीगण संख्या 5 से 8 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। भूमि का कोई बंटवारा भी आज तक कभी नहीं हुआ है इस धारा में बंटवारा व बंटवारा में भूमि आना कतई दर्ज किया गया है कुम्भाराम द्वारा छोड़ी गई सम्पति में कोई भाग नहीं है इसलिए ना घोषणा का व ना बंटवारा का अधिकार है। वादीगण अपने भाग करीब 20–25 वर्ष पहले त्याग कर चुकी है और अपने अधिकार हरजीराम के पक्ष मे दस्तबरदार हो चुकी है और अपना अधिकारी हरजीराम के पक्ष मे दस्तबदार हो चुकी थी। इसके बाद अगर कभी मांगने आई तो हरजीराम ने इनको कब देने से इन्कार कर दिया था। इसलिए इनके समस्त अधिकार स्वतः ही समाप्त हो गये है भूमि में वादीगण का कोई भाग नहीं है, ना ही कोई बंटवारा हुआ है इसलिए दावा नाकाबिल चलने के है वाद–ग्रस्त सम्पति अकेले हरजीराम की व उसके पश्चात उनके सन्तान हम प्रतिवादीगण सं. 4 ता 10 की खातेदारी हो चुकी है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संच 1–2–3–[illegible] कोई भाग नहीं है। अतिरिक्त आपत्तिया में श्री कुम्भाराम का स्वर्गवास हुए अरसा करीबन [illegible] चुका है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात मात्र प्रतिवादीगण [illegible] 10 के [illegible] स्व. हरजीराम का कब्जा रहा है, तथा उनकी मृत्यु के पश्चात हम प्रतिवादीगण का [illegible] कब्जा चला आ रहा है। अगर वादीगण का कोई अधिकार था [illegible] से प्रतिवादीगण के पिता हरजीराम ने निष्कासित किया हुआ था। [illegible] हरजीराम का कब्जा नाजायज गत 25 वर्षों से चला आ रहा है। जो बिना किसी दखल [illegible] लगातार सबके

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

...ान में खुला चला आ रहा है इसलिए वादीगण को इसमें अधिकार समाप्त हो चुके है और दावा करने के अधिकारी नहीं है। गत 25 वर्षो से से वाद–ग्रस्त सम्पति पर कब्जा हरजीराम का होने के कारण वादीगण के अधिकार समाप्त हो चुके है, और अगर इनकों कोई अधिकार थें तो वे सब समस्त हो चुके है। इसलिए भी दावा नहीं चल सकता है ।

वादीगण का दावा सं. 98/99 दिनांक 31.03.2003 को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी स्तर पर खारिज किये जाने पर दिनांक 12.09.2003 को वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र दखवास्त दफा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 8 धारा 151 सीपीसी जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि दावा पुनः पेशी में लिया जावे। वादीगण का प्रार्थना पत्र दखवास्त दफा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 8 धारा 151 सीपीसी को इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है उक्त प्रार्थना पत्र के खारिज होने पर वादीगण राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर में अपील विरूद्व आदेश दिनांक 31.03.2003 पेश की गई। माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपील अपीललांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का आदेश दिनांक 24.09.2003 को निरस्त किया। और र्निदेश दिये कि उक्त प्रा. पत्र का निस्तारण नियमानुसार दोनों पक्षों को सुनकर करें। रिमाण्ड किये जाने पर दावा पुनः दर्ज किया जाकर दोनां पक्षों को अधिवक्तागण के माध्यम से सुचित किया गया। अधिवक्तागण के उपस्थित आने पर वाद पत्र पर पुनः सुनवाई की गई ।

4. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:–

1. आया वादीगण के पिता व प्रतिवादी सं.1–2–3 के पिता 4 का ससुर 5 ता 10 का दादा 11 का नाना कुम्भाराम पुत्र भैराराम के नाम से चक 13 आरबी में मु.नं. 6 के 3.162 है. व मु.नं. 2 के 2.516 है. भूमि नहरी बारानी खातेदारी थी। –: जिम्मेवादी
2. आया खातेदार कुम्भाराम का स्वर्गवास होने के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार टीनेन्ट हो गये और वह अपना हक व हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी है। व राजस्व किरार्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है। –:जिम्मवादी
3. आया प्रतिवादी व वादीगण वादग्रस्त रकबे में कुम्भाराम के वारिस होने के कारण व खातेदारों की घोषणा करवाने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद संख्या अ–ब–स–द–ध के अनुसार बंटवारा करवाने के अधिकारी है। –:जिम्मेवादी
4. आया वादीगण अपने हक व हिस्से का परित्याग कर चुके है इसलिए उनका हक व हिस्सा स्वतः समाप्त हो गया है। –: जिम्मेप्रतिवादी
5. आया इस भूमि पर हरजीराम का कब्जा कास्त 25 वर्षो का होने के कारण अब वादीगण दावा करने के अधिकारी नहीं है। –:जिम्मेप्रतिवादी
6. आया दावा मियाद बाहर है। –:जिम्मेप्रतिवादी
7. अनुतोष

5. वादिया चुन्नीदेवी ने साक्ष्य वास्ते दिनांक 23.05.2012 को शपथ पत्र पेश किया। ब्यान मं अंकित किया है कि मेरा पिता के नाम चक 13 आरबी में कृषि भूमि है जिसकी जमाबंदी प्रदर्श–1 है व चक 64 आरबी मे 10 बीघा कृषि भूमि है जो जमाबंदी प्रदर्श–2 है। इसी के साथ बृजलाल पुत्र धर्माराम जाति नायक ने शपथ पेश किया है जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी की तरफ से श्री नन्दराम पुत्र श्री हरजीराम दिनांक 02.01.2013 को शपथ पत्र पेश किया है [illegible] की रसीद प्रदर्श–**A**–1 से **A**–25 प्रदर्श करवाये। प्रदर्श–2 जमा[illegible]सार वर्तमान में जमीन कुम्भाराम के नाम है इसी के साथ [illegible] साकिन 13 आरबी ने शपथ पत्र पेश किया। ब्यान [illegible]वाये। धर्म[illegible] श्री प्रीतमसिंह जाति जटसिख साकिन 13 आरबी ने शपथ [illegible]ांकित करवाये। कि कुम्भाराम को जानता [illegible]दिया हुई। इसके बच्चों की जानकारी नही है आत्मासिंह पुत्र श्री गजनसिंह जाति जटसिख ने शपथ पत्र पेश किया है, जो शामिल मिसल किया गया।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:41 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

दिनांक 06.072010 को वकील वादी ने प्रा.पत्र. आदेश 22 नियम 4 धारा 151 सीपीस पेश किया जो दिनांक 22.01.2011 को स्वीकार किया गया। वकील वादी ने दिनांक 08.02.2011 को संशोधित शीर्षक पेश किया। दिनांक 29.08.2011 को आदेश 9 नियम 8 व 151 सीपीसी व अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधि. पेश किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने दिनांक 14.11.2011 को प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया। दिनांक 30.11.2011 को न्यायहित में वकील वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 8 व धारा 151 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधि. को 300 कोस्ट पर स्वीकार किया गया।

हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार हैः–

तनकी संख्या (A) आया वादीगण के पिता व प्रतिवादी सं. 1–2–3 के पिता 4 का ससुर 5 ता 10 का दादा 11 का नाना कुम्भाराम पुत्र भैराराम के नाम से चक 13 आरबी में मु.नं. 6 के 3.162 है. व मु.नं. 2 के 2.516 है. भूमि नहरी बारानी खातेदारी थी। –: जिम्मेवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी जो प्रदर्श–1 व 2 है, जमाबंदी अनुसार चक 13आरबी पटवार हल्का 71 आरबी पं.नं. 198/242 मु.नं. 6 कि.नं. 1 ता 3/1, 8/2 ता 13/1, 18/2 ता 23/1 मे 3.162 है. नहरी भूमि व 64 आरबी में पं.नं. 192/255 मु.नं. 2 में कि.नं. 1–9 ता 13, 17 ता 25 कुल 2.516 है. बारानी जो कुम्भाराम वल्द भैराराम जाति नायक देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (B) आया खातेदार कुम्भाराम का स्वर्गवास होने के बाद वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार टीनेन्ट हो गये और वह अपना हक व हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी है। व राजस्व किरार्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है। –:जिम्मवादी

इस तनकी का सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र जो ग्राम पंचायत 71 आरबी द्वारा जारी किया गया है। कुम्भाराम पुत्र भैरूराम की दिनांक 02.07.1974 में ग्राम 13 आरबी में मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण हिस्सा अनुसार उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करवाने के अधिकारी है। वदीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि किसी एक को उकत सम्पति अपने नाम से करवाने का अधिकारी हों। इस तनकी को सिद्व करने में वादीगण सफल रहे हैं अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (C) आया प्रतिवादी व वादीगण वादग्रस्त रकबे में कुम्भाराम के वारिस होने के कारण व खातेदारों की घोषणा करवाने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद संख्या अ–ब–स–द–ध के अनुसार बंटवारा करवाने के अधिकारी है। –:जिम्मेवादी

इस तनकी का सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा कोई घरेलू बंटवारा/ अन्य दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे यह प्रमाणित होता है कि वे वाद पत्र की मद सं. 3 की उपमद सं. अ–ब–स–द–ध के अनुसार बंटवारा करवाने के अधिकारी हो। इस तनकी को वादीगण सिद्व [illegible] रहे हैं। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (D) आया वादीगण [illegible] हिस्से [illegible] परित्याग कर चुके है इसलिए उनका हक व हिस्सा [illegible] समाप्त हो गया। –: जिम्मेप्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज यथा दस्त[illegible] पेश नहीं किया, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादीगण द्वारा अपने हिस्से [illegible]मि का परित्याग कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:41 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

हो। मात्र पानी की पर्चियों पेश की है। पानी की पर्चियां भूमि पर मालिकाना हक सिद्व करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। प्रतिवादीगण इस तनकी को सिद्व करने में असफल रहे है अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (E) आया इस भूमि पर हरजीराम का कब्जा कास्त 25 वर्षो का होने के कारण अब वादीगण दावा करने के अधिकारी नहीं है। –:जिम्मेप्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण हरजीराम का उक्त भूमि पर 25 वर्षो कब्जा काश्त बताया गया है। कब्जा काश्त के आधार पर प्रतिवादी खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं हैं यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (F) आया दावा मियाद बाहर है। –:जिम्मेप्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था उक्त वाद में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे ऐस हो सके की दावा मियाद बाहर था कानून अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पेश करने के लिए कोई मयाद निर्धारित नहीं है अतः वाद वादीगण अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (G) अनुतोष

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1–2–4–5 बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णित की जा चुकी है तथा तनकी सख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है अतः वादीगण को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद पत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी अनुसार चक 13 आरबी पटवार हल्का 71 आरबी पं.नं. 198/242 मु.नं. 6 कि.नं. 1 ता 3/1, 8/2 ता 13/1, 18/2 ता 23/1 मे 3.162 है. नहरी भूमि व 64 आरबी में पं.नं. 192/255 मु.नं. 2 में कि.नं. 1–9 ता 13, 17 ता 25 कुल 2.516 है. बारानी जो कुम्भाराम वल्द भैराराम जाति नायक देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं का प्रकरण भली–भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त भूमि के खातेदार मृतक कुम्भाराम के वारिसान को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है कि कुम्भाराम पुत्र श्री भैराराम जाति नायक साकिन 13 आरबी के नाम दर्ज भूमि का उनके विधिक वारिसों की जांच करके बहिस्सा बराबर–बराबर रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

निर्णय आज दिनांक **13.08.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:31:41 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner